**□ जनपद- हाथरस□**
**□ दिनांक- 27.12.2025□**

**!!□ थाना साइबर क्राइम हाथरस पुलिस टीम द्वारा पैट्रोल पम्प खुलवाने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। !!□**

अवगत कराना है कि वादी श्री अनिल कुमार पुत्र राम खिलाडी निवासी ग्राम कुरसंडा थाना सादाबाद जनपद हाथरस द्वारा थाना साइबर क्राइम पर सूचना दी कि उसको ऑनलाईन साइट पैट्रोल पम्प के0एस0के0 डिलरशिप के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि पैट्रोल पम्प की जगह खाली है। जिसके उपरांत वादी ने साइट खोलकर आवेदन कर दिया। जिसके उपरांत वेबसाइट चलाने वाले व्यक्तियों ने अनिल उपरोक्त से पैट्रोल पम्प की डीलरशिप देने के नाम पर अलग अलग तारीखों में 27.01.2025 से 23.04.2025 तक अलग अलग प्रोसेस करने के नाम पर कुल 32 लाख 45 हजार रुपये किश्तों में अपने खातों में डलवा लिये। जिसके बाद वादी द्वारा मथुरा रिफाइनरी मे जाकर जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि वह फर्जी साइट है व उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। वादी कि लिखित तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0स0 21/2025 धारा धारा 318(4),336(3),338,340(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही का विवरण- थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा विवेचना के क्रम में वेबसाइट बनाने वाली अमेरिका बेस्ड कम्पनी godaddy.com से जानकारी प्राप्त की गयी एवं इंडियन ऑईल कॉरपोरेशन से भी फर्जी पैट्रोल पम्प कम्पनी HTTPS://PETROLPIMP-KSK.COM की सत्यता का पता लगाया गया। जिससे कम्पनी के फर्जी होने के पता चलना। वेबसाइट का प्रयोग करने वाले व डोमेन खरीदने वाले व्यक्तियों की जानकारी की गयी तो छोटे राजा परिहार पुत्र उत्तम परिहार निवासी ग्राम गागौनी थाना सिहोर जिला शिवपुरी राज्य मध्य प्रदेश हाल पता बघेल फौजी का मकान त्यागी नगर थाना मुरार जिला ग्वालियर राज्य मध्य प्रदेश व इसके साथ साइबर ठगी करने वाले कई अन्य साथियों के नाम प्रकाश में आये थे। पुलिस टीम द्वारा जांच के दौरान ही ठगी करने में प्रयुक्त हुए सिम कार्ड व रुपये लेने के लिये प्रयुक्त हुए खाता धारकों को चिन्हित कर अन्य सह अपराधियों के नाम पते ज्ञात कर इनके खातों को खंगाले गये थे।

जिसके क्रम मे  दिनांक 26.12.2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक हाथरस श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा के आदेशानुसार अपराधियों की धर पकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशिन मे व क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के कुशल नेतृत्व मे थाना साईबर क्रइम पुलिस टीम द्वारा टैक्निकल साधनों की मदद से पैट्रोल पम्प खुलवाने का झांसा देकर लोगों को फंसाकर ठगी करने वाला शातिर अभियुक्त छोटे राजा परिहार पुत्र उत्तम परिहार निवासी ग्राम गागौनी थाना सिहोर जिला शिवपुरी राज्य मध्य प्रदेश को कल्यान हास्पीटल के सामने सडक से थाना क्षेत्र पढाव जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण– गिरफ्तार अभियुक्त छोटे राजा परिहार उपरोक्त द्वारा अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि मैने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी जीमेल आईडी के माध्यम से godaddy.com वेबसाइट पर फर्जी वेबसाइट HTTPS://PETROLPIMP-KSK.COM बनाकर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिडिट के नाम से फर्जी पेट्रोल पम्प की विज्ञप्ति निकाली थी। मैने GODADDY से फर्जी वेबसाइट HTTPS://PETROLPIMP-KSK.COM खरीदने के लिये अपने ही मो0न0 का प्रयोग किया था जो कि मेरे नाम पर ही दर्ज है। अनिल कुमार(वादी) द्वारा बेबसाइट पर विज्ञापन देखकर दिये गये नम्बर पर संपर्क किया गया। फिर मैने उसको फाइल चार्ज व पेट्रोलपम्प की डीलरशिप दिलाने के नाम पर मेरे द्वारा दिये गये खातो में करीव 32 लाख 45 हजार रुपये डलवा लिये थे। मैं जिन खातो मे फ्राड के पेसे डलवाता था वो खाते व फ्राड के काम मे प्रयोग करने हेतु सिम कार्ड मुझे मेरे अन्य साथी लाकर देते थे जिसके बदले में मै इन्हे फ्राड की राशि में से 10 प्रतिशत हिस्सा देता था। जो खाते मुझे प्राप्त होते थे उन खातो में जो फ्रॉड का पैसा आता था उसको निकलाने की जिम्मेदारी मेरी गैंग के जिन साथियों की थी उनको मैं फ्राड की राशि मे से 20 प्रतिशत हिस्सा देता था। वैबसाइट को संचालित करने का कार्य मैं गाजियाबाद से करता था। जब मैं

बाहर कहीं होता था तो वैबसाइट के संचालन का कार्य मेरे साथ साइबर फ्राड करने वाले साथी किया करते थे। सभी लोगो को हिस्सेदारी देने के बाद जो रुपया मेरे हिस्से मे आया था वह मैने दोस्तो के साथ मौज मस्ती में खर्च कर दिया करता था।

गिरफ्तार अभियुक्त छोटे राजा उपरोक्त से विस्तृत पूछताछ करते हुये आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। तथा घटना मे शामिल अन्य अभियुक्तो की गिरफ्तारी के प्रायस करते हुए पुलिस द्वारा अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त -
छोटे राजा परिहार पुत्र उत्तम परिहार निवासी ग्राम गागौनी थाना सिहोर जिला शिवपुरी राज्य मध्य प्रदेश हाल पता – बघेल फौजी का मकान त्यागी नगर थाना मुरार जिला ग्वालियर राज्य मध्य प्रदेश

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0स0 21/2025 धारा धारा 318(4),336(3),338,340(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम जनपद हाथरस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-
निरीक्षक आशीष कुमार सिंह साइबर क्राइम थाना हाथरस जनपद हाथरस।

MEDIA CELL HATHRAS